



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25042023-245389
CG-DL-E-25042023-245389

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1787]
No. 1787]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 25, 2023/वैशाख 5, 1945
NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 25, 2023/VAISAKHA 5, 1945

श्रम और रोजगार मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अप्रैल, 2023

का.आ. 1875(अ)—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 1 मई, 2023 को, उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिस पर उक्त अधिनियम के उपबंध, अर्थात्,—

- अध्याय 4 की धारा 38 से धारा 43 तक और धारा 45क से धारा 45ज तक
- अध्याय 5 की धारा 46 से धारा 73 तक और
- अध्याय 6 की धारा 74, धारा 75, धारा 76 की उपधारा (2) से उपधारा (4) तक, धारा 80, धारा 82 और धारा 83

संघ शासित राज्य लक्षद्वीप के कवरत्ति, अगात्ति और मिनीकोय द्वीप समूह के सभी क्षेत्रों में, प्रवृत्त होंगे।

[सं.एस-38013/10/2023-एसएस-1]

आलोक चंद्रा, वरिष्ठ श्रम और रोजगार सलाहकार

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT**NOTIFICATION**

New Delhi, the 25th April, 2023

S.O. 1875(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby appoints the 1st day of May, 2023, as the date on which the provisions of the said Act, namely,—

- (i) sections 38 to 43 and sections 45A to 45H of Chapter IV;
- (ii) sections 46 to 73 of Chapter V; and
- (iii) sections 74, 75, sub-sections (2) to (4) of section 76, 80, 82 and 83 of Chapter VI,

shall come into force in all the areas of Kavaratti, Agatti and Minicoy Islands in the Union Territory of Lakshadweep.

[No. S-38013/10/2023-SS-I]

ALOK CHANDRA, Senior Labour and Employment Adviser